## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना धामपुर** **दिनांक – 22.02.2024**

**थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201/120बी/34 भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 06.02.2024 को वादी कोमल सिंह पुत्र शिवचरन सिंह निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि उसकी भाभी कमलेश ने प्रेम प्रसंग का विरोध करने को लेकर अपने प्रेमी मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर व उसके साथी विकास निवासी मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर वादी के भाई महेन्द्र की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम कमलेश, मनोज व विकास उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 120बी/34 भादवि की वृद्धि की गई।

थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर व अभियुक्ता कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान महाराणा प्रताप फार्मेसी ड्रिग्री कॉलेज मे लगे सीसीटीवी कैमरो की वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कॉलेज पर रात्रि में लगे चौकीदार घासीराम पुत्र बसन्त सिंह निवासी ग्राम चकसहजानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर के घटना में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये तथा अभियुक्त घासीराम का नाम प्रकाश मे आया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 52/24 धारा 302/201/120बी/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त घासीराम पुत्र बसन्त सिंह निवासी ग्राम चकसहजानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

घासीराम पुत्र बसन्त सिंह निवासी ग्राम चकसहजानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 2477 अनुज कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2062 धर्मेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर** **दिनांक – 22.02.2024**

# जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

| क्र0सं0 | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---|---|---|
| 1. | नांगल | शबी हैदर पुत्र नवाब रजा नि0 ग्राम सैदपुरी थाना नांगल जनपद बिजनौर। |
| 2. | कोतवाली देहात | पदम पुत्र कलवा निवासी ग्राम गंगोडा शेख थाना को0देहात जनपद बिजनौर। |
| 3. | नहटौर | धर्मवीर सिहं पुत्र इमरत सिहं निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर। |
| 4. | नहटौर | नौशाद पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मिर्जापुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर। |
| 5. | नहटौर | मौ0 फहीम पुत्र जिकरिया निवासी सदरूद्दीननगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर। |
| 6. | शेरकोट | मौ0 फरमान पुत्र मौ0 साजिद निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर। |
| 7. | शेरकोट | विनोद वर्मा पुत्र रघुवीर वर्मा निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर। |
| 8. | रेहड | बब्लू पुत्र अब्दुल गफूर निवासी रायपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड। |
| 9. | रेहड | मदन सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम छजमलवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर। |
| 10. | रेहड | कमरुद्दीन पुत्र अ0 कय्यूम नि0 ग्राम महुआ डाबरा थाना जसपुर उधमसिंह नगर। |

**थाना नांगल**

**थाना कोतवाली देहात**

**थाना शेरकोट**

**थाना नहटौर**

**थाना रेहड**

**थाना रेहड**

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद** **दिनांक – 22.02.2024**

**थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 647/2023 धारा 365/420/323/506 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 05.10.2023 को वादी श्री एहतेशाम पुत्र मंसूर अली नि0 श्री राम कॉलोनी थाना खजूरी खास दिल्ली ने अपहरण करने, धोखाधडी करने व मारपीट करने के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 647/23 धारा 365/420/323/506 भादवि बनाम इमरान पुत्र जान मौहम्मद, फुरकान पुत्र इरफान, फरमान, यासीन, महरबान व यासीन आदि 07 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फरमान व फुरकान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 647/2023 धारा 365/420/323/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.यासीन पुत्र जान मौहम्मद 2.मेहरबान पुत्र मौ0 निसार निवासीगण ग्राम कलोंदा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (नोएडा) 3.यासीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम मिर्जापुर प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.यासीन पुत्र जान मौहम्मद निवासी ग्राम कलोंदा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (नोएडा)
2.मेहरबान पुत्र मौ0 निसार निवासी ग्राम कलोंदा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (नोएडा)
3.यासीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम मिर्जापुर प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. व0उ0नि0 संजय कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. कां0 1902 प्रवीण थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. कां0 929 जोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना नांगल** **दिनाँक 22.02.2024**

# थाना नांगल पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

## कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान अभियुक्त हर्ष कुमार पुत्र विनित कुमार निवासी दौलतपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व अभियुक्त तुषार कुमार पुत्र बालेश्वर सिंह निवासी किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर दो जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 43/2024 धारा 3/25(1-b)(A) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

हर्ष कुमार पुत्र विनित कुमार निवासी दौलतपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

तुषार कुमार पुत्र बालेश्वर सिंह निवासी किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

## बरामदगी विवरणः-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त हर्ष उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 139/22 धारा 323/504 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 140/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 43/2022 धारा 3/25(1-b)(A) आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त तुषारः-

1. मु0अ0सं0 139/22 धारा 147/148/149307/323/324/34/364/504 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 43/2022 धारा 3/25(1-b)(A) आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. उ0नि0 योगेश कुमार  थाना  नागल  जनपद बिजनौर।
2. का 1211 संजय सैनी थाना नागल  जनपद बिजनौर।
3. का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4. का0 1878 अंकित सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर।
5. का0 1847 अजय कुमार थाना  नांगल जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना नूरपुर** **दिनांक 22.02.2024**

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379 भादवि से संबंधित 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 17/02/2024 को वादी नाजिर पुत्र नन्हे शाह निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल रजि0 सं0 UP14 AJ 3248 रॉयल गार्डन शहदपुर भट्टा से चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 02 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।

**कार्यवाहीः-**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी व चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379 भादवि से संबंधित 02 बाल अपचारियों को चोरी की गई मोटरसाइकिल रजि0 सं0 UP14 AJ 3248 सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

02 बाल अपचारी

**बरामदगीः-**

मोटरसाइकिल रजि0 सं0 UP14 AJ 3248

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी कुंवरपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी 593 ब्रजकिशोर शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर**　　　**दिनांकः- 22.02.2024**

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

दिनांक 03.06.2016 को वादी श्री हुकम सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम नंगला थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध वादी की मां भगवती पत्नी प्रेम सिंह को मारने की नीयत से वार कर गंभीर रुप से घायल कर देने के संबंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 181/16 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त जावेद उर्फ दुग्गी उर्फ अनीस पुत्र रहीश निवासी मौ0 रवापुरी साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। स्थानीय पुलिस द्वारा संम्पूर्ण विविध कार्यवाही के उपरोक्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-III, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 181/16 धारा 307 भादवि के अभियुक्त जावेद उर्फ दुग्गी उर्फ अनीस पुत्र रहीश निवासी रवापुरी सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 08 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1- जावेद उर्फ दुग्गी उर्फ अनीस पुत्र रहीश निवासी रवापुरी साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर